

खेती की प्राथम्य हल हो जाये। दूसरी सुविधा खाद के कारखाने बनाने से नहीं मिलेगी बल्कि उसका प्रापर इन्स्ट्रिब्यूशन आवश्यक है। इसके लिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स शायदा हमारे जिम्मेदार प्रशासक बहुत सक्रिय कदम उठावेंगे नहीं तो जैसे देश में भ्रष्टाचार के एक प्राध नमूने मिलते ही रहते हैं, हो सकता है उनका प्राधिष्य हो जाये।

दूसरा पहलू है सिंचाई का। सिंचाई के लिए हमारी सरकार ने बहुत से साधन हाथ में लिए हैं लेकिन फिर भी जो 70 प्रतिशत लोग भारतवर्ष में खेती पर लगे हुए हैं उनके लिए अभी उतना प्रोग्राम हाथ में नहीं लिया गया है। इसका कारण है कि अभी हमें अपार सम्पत्ति हममें लगानी है जो अभी कुछ दुर्लभ सा नजर आता है। हमारा एकीनामिक डिमंडलेन्स जो खेती के कारण ही हमारे देश में हुआ करता है, जिसको हम महसूस भी करते हैं उसको पूर करने के लिए हमें खेती पर अधिक साधन जुटाने होंगे। कुछ हमारी खेती पानी में फसी हुई है यानी बहा वाटरलागिंग है। बहा के लिए आवश्यक है कि या तो हम चैनल्स बनाये या ट्रेनेज बनाये या फिर बहा पर पम्पस लगा दे जिसमें पानी बहा से हट कर दूसरी जगह चला जाये। इससे दो लाभ होंगे। एक तो हम पानी में निचाई कर सकते हैं और दूसरे बहा पर हमारी फसल भी हो सकती है। हमारे देश में अभी बहुत से क्षेत्र ऐसे पड़े हुए हैं जैसे हमने देखा हरियाणा में कुछ रेगिस्तानी भाग हैं और कुछ वाटरलागिंग के इलाके हैं जो कि बिहार में पड़ते हैं, यू० पी० और बंगाल में भी है। अगर हम उन क्षेत्रों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें तो जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा, जमीन के इन्स्ट्रिब्यूशन का जो सवाल है उसको भी बहुत कुछ हल कर सकते हैं। हमारे यू० पी० में बंसी के एरिया में, कुम्बलखण्ड के एरिया में इतनी जमीनी पड़ी हुई है कि जिसका अगर हम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकें तो मैं समझता हूँ

यू० पी० का जो एक तिहाई हिस्सा बेकार सा नजर आता है वह उपजाऊ हो जाये तो हमारे देश की प्राथम्य हल हो सकती है न कि केवल यू० पी० की। यू० पी० की पापुलेशन इस देश की एक बटा 6 है। यहां के बहुत से भावनी दूसरी जगहों पर जाते हैं क्योंकि बहा पर उसे खेती के साधन मिलते नहीं हैं। अब हम इसको ज्यादा सफल बनाने के लिये क्या क्या कदम उठाये इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। हमें जमीन की मील करनी पड़ी। प्रान्तों ने मील किया। हमें हमें यह अनुभव होता है कि हमारी पैदावार घटी, यद्यपि कि बढ़नी चाहिये। लेकिन घटी। कारण कि खेतों को जोतने के लिये जो हमें ट्रैक्टर की आवश्यकता थी वह जमीन

MR CHAIRMAN: Please continue your speech tomorrow. Now we take up Half-an-Hour Discussion

18 hrs

ARREST OF MEMBERS—Contd.

MR CHAIRMAN: I have to inform the House that the Speaker has received the following telegram, dated the 15th April, 1973, from the Superintendent of Police, Ujjain:—

“Shri Phool Chand Verma, Member, Lok Sabha, was arrested on the 15th April, 1973, at 15.30 hours, under Sections 3/7, Essential Commodities Act, for violating ban on Inter District Movement of Food-grains. Shri Verma was remanded to judicial custody under the order of the sub-Divisional Magistrate. Presently he is lodged in Bhandarongarh Jail, Ujjain.”